अध्याय 6: मॉनिटरिंग, समन्वय और आंतरिक नियंत्रण

विभिन्न विभागों और उनके क्षेत्र संरचनाओं और आंतरिक नियंत्रण तंत्र जैसे रिपोर्ट, रिटर्न, सूचना, संचार के बीच समन्वय योजना कार्यान्वय की निगरानी के लिए सीबीईसी और डीओआर के द्वारा औचित्य और प्रक्रियाओं की पर्याप्ता, डेटा को सही स्थान पर प्रयोग करने के प्रबंधन प्रक्रियाओं पर यह भाग केन्द्रित है। नीचे टिप्पणियां विषयों पर प्रकाश डालती है जहां निगरानी और नियंत्रण को कमजोर पाया गया है, समन्वय व्यवस्था को पुष्ट करने की आवश्यकता है।

6.1 ईडीआई प्रणाली में परियोजना आयात डाटा प्रबंधन

सीएजी, ने अपनी पूर्व निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में (2009-10 की एआर सं.24), उचित लेखांकन को विकास करना और मॉडयूल की निगरानी और परियोजना आयातो की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए ईडीआई प्रणाली के साथ इनको एकीकृत करने की सिफारिश की थी। जवाब में, सीबीईसी ने परिपत्र दिनांक 4 मई 2011 के द्वारा सूचित किया कि इस मामले को आगे कार्रवाई के लिए महानिदेशक, प्रणाली के समक्ष रखा गया था।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में केन्द्रीकृत बॉण्ड प्रबंधन मॉड्यूल, आईसीएस 1.5 में परियोजना प्रबंधन मॉड्यूल के निर्माण की सिफारिश के साथ सहमत हैं। हालांकि, यह पीआईआर की गहन समीक्षा के बाद उठाया जाएगा।

6.1.1 ईडीआई प्रणाली में अपूर्ण परियोजना आयात डेटाः संविदा के पंजीकरण के समय, आयातर्कताओं को दस्तावेजो का एक निर्धारित सेट प्रस्तुत करना हैं, जिसमें परियोजना के महत्वपूर्ण विवरण जैसे-परियोजना का नाम और स्थान, परियोजना कार्यन्वयन एजेंसी-सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निजी, प्रायोजन प्राधिकारी का नाम, परियोजना का मूल्य और माल और सेवाओं की लागत का ब्रेक-अप, प्रायोजन प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित आयात करने के लिए वस्तुओं की सूची और परियोजना से सम्बन्धित संविदा/उप संविदा का विवरण सम्मिलित है। कमिश्नरी स्तर पर, संविदा रजिस्टरो में मैन्युअली रूप से सूचना को अधिकृत किया जाता है जैसे-एक संविदा की यूनिक पंजीकरण

संख्या और तिथि, संविदा की सीआईएफ मूल्य, संविदा में संशोधन, संविदा के संबंध मे अनुमत आयातो का विवरण (मूल्य और मात्रा) और मूल्य शुल्क का परित्याग आदि।

अनेक संविदाओं के माध्यम से अर्थात माल और संयंत्रों का आयात, स्वदेशी क्रयों, सेवाओं का प्रतिदान आदि एक परियोजना के अन्तर्गत आयात सामान्यतः स्थान ले लेती है और इन संविदाओं में से प्रत्येक देश भर मे आयात करने के लिए किसी भी कस्टम कमिश्नरी में पंजीकृत हो सकती है। एसीसी, नई दिल्ली, चैन्नई, कान्डला, कोलकत्ता, मुंद्रा और एनसीएच, मुम्बई कमिश्नरीयों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड के आश्वासन के बावजूद, ईडीआई व्यवस्था में परियोजना आयात व्यवस्था के अन्तर्गत विशिष्ट परियोजना के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में आयातो को अधिकृत करने के लिए कोई भी प्राधिकृत क्षेत्र नहीं है। ईडीआई व्यवस्था में किसी भी प्राधिकृत क्षेत्र के आभाव निम्नलिखित को निर्दिष्ट करता है:-

- प्रणाली किसी भी समय पर विशेष परियोजना आयात मामले के अन्तर्गत किए गए कुल आयात की विस्तृत रिपोर्ट बनाने में असमर्थ है।
- बंदरगाह पर परियोजना का पंजीकरण और अन्तिम करण मैन्युअली किया गया।
- प्रणाली में विशेष परियोजना के अन्तर्गत किए गए आयात को बनाए रखने के लिए (मूल्य अनुसार, मात्रा अनुसार और विशिष्टता अनुसार) समान केन्द्रीकृत बही खाता नहीं है।
- निर्गत परामर्शों (आरए), जहां आयातकर्ता द्वारा माल आयात करने के प्रयोजन के मामले में अन्य के अतिरिक्त बंदरगाह पंजीकरण मैन्युअली जारी किये गये और मॉनीटरिंग किये गये है। इसके अतिरिक्त, आरएस की प्रमाणिकता को मैन्युअली सत्यापित किया गया अर्थात पंजीकृत बंदरगाह मैन्युअली के अतिरिक्त अन्य आयातो के संबंध में कमिश्नरी अभी भी अंततः बीईस आकलन एकत्र कर रहा है, जो कि मामलें को अन्तिम रूप देने मे विलम्ब की ओर ले जाता है जहां परियोजना अन्तिम रूप दिये जाने के स्तर पर है। इसके अतिरिक्त संवीक्षा से पता चलता है कि कमिश्नरी ने संविदा को अंतिम रूप देने के लिए

आरए बंदरगाह से एक अथवा दो बीईस की मांग की और इन बीईस की स्थिति में अभाव के कारण, परियोजना अनिश्चित अवधि के लिए अंतिमरूप दिये बिना पड़ी रही थी। इस प्रकार, ईडीआई प्रणाली में जहां आरए निर्गत किये गये थे वहां अन्य बंदरगाह से अन्तिम बीईस आंकलन बनाने के लिए कोई उपकरण नहीं है।

परियोजना के संबंध में पूर्ण सूचना के अभाव में, कमिश्नर के द्वारा संविदा परियोजना को अन्तिमरूप देने और आयात-सामग्री की निगरानी के लिए जटिल कार्य और समय लेने वाली प्रक्रिया है ।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2016)।

6.1.2 बॉंड मैन्युअल में बॉंडस का गलत डेबिट: पीआईआर, 1986 के अधिनियम 5(4) के अनुसार, आयातकर्ता द्वारा संविदा के पंजीकरण के संबंध में उचित अधिकारी द्वारा जिस प्रकार की आवश्यकता हो उसी प्रकार के दस्तावेजों और अन्य विवरणों को प्रस्तुत करना है जिसमें नकदी सुरक्षा जमा के साथ पूरक बॉंड सम्मिलित है। पूरक बॉंड संविदा को पंजीकरण करने की मांग की सीआईएफ मूल्य की राशि के बराबर बनाया जाना चाहिए।

कमिश्नरी में माल के आयात के समय परियोजना समुह के द्वारा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, कि समूह को विवरण मूल्य और आयातित माल की मात्रा के साथ-साथ पंजीकृत विवरण, मूल्य और मात्रा की जांच करना अनिर्वाय है और आगम पत्र का अस्थायी रूप से आंकलन किया गया। समूह माल का विवरण और उनका मूल्य परियोजना संविदा रजिस्टर मे नोट करके रखता है।

आईसीईएस 1.5 प्रारम्भ करने के बाद, बॉंड मॉड्यूल में बीई के संबंध में किये गये आयातो की सीआईएफ मूल्य के बराबर बॉंड के डेबिट करने के मूल्य के द्वारा प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। ऐसे मामलों में जहां टेलीग्राफी रिलीज एडवाइस (टीआरए) सम्मिलित है और आयातो को पंजीकृत बंदरगाह के अलावा अन्य बंदरगाहों के माध्यम से किया गया है, पंजीकृत बंदरगाह पर टीआरए राशि के लिए बांड को डेबिट कर दिया गया है और मैनुअल टीआरए आयात के बंदरगाह पर उपयोग के लिए जारी किया जाता है।

डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान 3202 बीईज में बांड डेबिट किए बिना, परियोजना आयात लाभ लेने के लिए आयात सीटीएच 9801 के तहत किया गया था। तदनुसार, आयात किए गए माल पर शुल्क से ₹ 1,133.05 करोड़ तक की राशि की रियायती शुल्क/छूट अनुमत की गई जो परियोजना आयात पर लागू थी, माल को परियोजना आयातों के अलावा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रयोग करने से छूट का गलत उपयोग करने की गुंजाइश दी गई। यह तथ्य उजागर करना उचित है कि बांड लेजर कमिश्नरियों द्वारा करारों को अन्तिम रूप देने के दौरान संदर्भित और भरोसे योग्य एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि क्रेडिट और डेबिट इसी में किए जाते है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)

सिफारिशः लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि परियोजना आयात पर बेहतर नियंत्रण होने और कुशल एवं उचित तरीके से बांड लेजर में उनके क्रेडिट/डेबिट की निगरानी हेतु, बोर्ड टीआरए के माध्यम से अन्य पोर्टों में किये गये आयात और पंजीकरण पोर्ट के माध्यम से किये गये आयात की निगरानी करने के लिये परियोजना आयात हेतु केन्द्रीकृत बांड प्रबंधन मोड्यूल शुरू करने पर विचार कर सकता है।

बोर्ड ने एग्जिट बैठक के दौरान कहा (19 दिसम्बर 2016) कि मंत्रालय पीआईआर की विस्तृत समीक्षा के बाद आईसीईएस 1.5 में केन्द्रीकृत बांड प्रबंधन मोडयूल के सृजन पर सिफारिश से सहमत है।

6.1.3 अनंतिम निर्धारण के बजाय बीईज का अन्तिम निर्धारण: अनंतिम निर्धारण के बजाय बीईज का अन्तिम निर्धारण: परियोजना आयात के अन्तर्गत मंजूर किए गए माल के संबंध में, सीमाशुल्क नियमावली के अध्याय 5 के पैराग्राफ 4.1 के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुती द्वारा परियोजना करार के अन्तिम रूप को लम्बित रख कर निष्पादित बांडों के प्रति मूल्य/शुल्क को डेबिट करने के द्वारा बीईज का निर्धारण अनंतिम रूप से किया जाता है।

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए डीजी (सिस्टम्स और डाटा प्रबंधन) द्वारा प्रदत्त डाटा से लेखापरीक्षा ने पता लगाया कि 31 पोर्टो[53] में 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान दर्ज 2532 बीईज में अनंतिम निर्धारिण के बजाय अन्तिम निर्धारण का सहारा लिया गया था। ₹ 6,113.56 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले माल को परियोजना आयात के अन्तर्गत आयात किया गया और सीटीएच 9801 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।

एसीसी नई दिल्ली, कोचीन और कांडला कमिश्नरी के कुछ मामले लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किए गए जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

- कोचीन कमिश्नरी में एक आयातक[54] के परियोजना करार से पता चला कि कोच्ची और अन्य पोर्टों में दर्ज चार बीईज का निर्धारण अन्ततः बांड को डेबिट किए बिना किया गया था। इसी प्रकार एक अन्य परियोजना करार[55] में आयात टीआरए के आधार पर नावा शेवा पोर्ट के माध्यम से किया गया था (अगस्त 2015) किन्तु अन्तिम निर्धारण बांड को डेबिट किए बिना किया गया था। पांच बीईज का निर्धारण मूल्य ₹ 14.37 करोड था, जिसमें ₹ 3.10 करोड़ का शुल्क शामिल था।
- एसीसी, नई दिल्ली कमिश्नरी के तीन करारों[56] (सात बीईज-सीआईएफ मूल्य ₹ 3.05 करोड़) में इसी प्रकार के अंनतिम निर्धारण के बिना अन्तिम निर्धारण पाए गए थे।
- कांडला कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने तीन करारों में अन्तिम रूप दिए गए संविदा मामलों में पाया कि आयातकों ने टीआरए के माध्यम से विभिन्न सीमा शुल्क हाऊसीस से उनके आयात प्रेषण की निकासी करवाई थी। सत्यापन पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 बीईज में कमिश्नरी में अनंतिम निर्धारण के अन्तर्गत माल

[53]एसीसी अहमदाबाद, एसीसी बैंगलोर, मुम्बई सी, एसीसी मुम्बई कोलकाता सी, एसीसी कोलकाता, कोचीन सी, कोचीन एयर कार्गो, एसीसी दिल्ली, आईसीडी दुर्गापुर, एसीसी हैदराबाद, कांडला कस्टम, एसीसी जयपुर, चेन्नई सी, एसीसी चेन्नई, आईसीडी मंदीदीप, मुंद्रा, आईसीडी नागपुर, नावाशेवा मुम्बई, पीपावव विक्टर, आईसीडी पडपडगंज, पारादीप, आईसीडी रायपुर, आईसीडी साबरमती (खोडियार), आइसीडी दादरी, आईसीडी तुगलकाबाद, तूतीकरोनी सी, आईसीडी तूतीकोरीन, आईसीडी तोदियारपेट, विजाग सी, आईसीडी बैंगलौर।

[54] मै.बीपीसीएल के आर आईआरईपी

[55] मै. प्रोडएयर एयर प्रोडक्टस इंडिया प्राइवेट लि.

[56]संविदा सं. 2/2008, 3/2009 और 2/2015

के निर्धारण के बिना माल की निकासी अनुमत की और बांड भी डेबिट नहीं किया गया था। उक्त प्रावधान के अनुसार, बीईज को माल की मंजूरी से पूर्व, अनंतिम रूप से निर्धारित किया जाना था। इससे पता चलता है कि ईडीआई प्रणाली में कोई उचित प्रमाणीकरण तंत्र नहीं था जिससे अनिवार्य रूप से पहला अनंतिम निर्धारण किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप परियोजना आयात के अन्तर्गत ₹ 7.03 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के लिए अनियमित निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 19.56 लाख का शुल्क शामिल था।

परियोजना आयात में संकलित विवरण, सामान की स्थापना इत्यादि के प्राप्त होने के पष्चात् आकंलन होना था जबकि बीईज का सीधा अंतिम आंकलन गलत था। यह दर्शाता है कि ईडीआई प्रणाली में बाध्यतामूलक अंन्तिम आंकलन का प्रावधान नहीं था।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में कोचीन और एसीसी, नई दिल्ली आयुक्तालय के संबंध में लेखा परीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कर ली हैं।

सिफारिशः लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि सीमाशुल्क ईडीआई प्रणाली (आईसीईएस 1.5वी) के माध्यम से परियोजना सामग्री आयात की प्रभावी निगरानी हेतु बोर्ड को मैनुअल प्रणाली के माध्यम से परियोजना आयात मामलों की निगरानी पर निर्भरता को कम करने के लिये आईसीईएस में ईपीसीजी योजना की पद्धति पर परियोजना प्रबंधन मोड्यूल की संभावना का पता लगाना चाहिये।

बोर्ड ने एग्जिट बैठक के दौरान कहा (19 दिसम्बर 2016) कि पीआईआर में परिवर्तनों के आधार पर आईसीईएस 1.5 में एक परियोजना प्रबन्धन माड्यूल विकसित किया जाएगा।

6.2 सीबीईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के डाटाबेस में अनियमितता

इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करते समय लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन संस्थाओं अर्थात (i) कमिश्नरियों पर (ii) निष्पादन प्रबन्धन महानिदेशालय (डीजीपीएम) और (iii) सिस्टमस और डाटा प्रबन्धन महानिदेशालय द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस में बेमेल डाटा था जैसा नीचे विस्तृत विवरण दिया गया हैः

(i) वि व 12 से वि व 16 के दौरान सीबीईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा प्राप्त राजस्व आंकडे

लेखापरीक्षा ने पाया कि वि व 12 से वि व 16 के दौरान सीबीईसी वेबसाईट, निष्पादन प्रबन्धन महानिदेशालय और महानिदेशालय (सिस्टमस और डाटा प्रबन्धन) द्वारा प्राप्त राजस्व आंकडे असंगत है जैसा नीचे वर्णित हैः

तालिका सं. 13: सीबीईसी की क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा प्राप्त राजस्व आंकडे

₹ करोड़ में

सूचना का स्रोत	वि व 12	वि व 13	वि व 14	वि व 15	वि व 16	कुल
सीबीईसी की वेबसाईट (*cbecddm.gov.in*)	3759.40	3074.21	2759.12	1185.85 (11/2014 तक)	उपलब्ध नहीं	10778.60
निष्पादन प्रबन्धन महानिदेशालय (डीजीपीएम)	2422.60	2312.83	2305.22	1328.16	1151.64	9520.45
डीजी सिस्टमस	1930.80	1913.27	1844.39	1239.44	1161.78	8089.68

राजस्व विभाग ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में कहा है कि डी जी (सिस्टम) में आकड़े इलैक्ट्रोनिक डाटा वेयरहाउस (ईडीडब्ल्यु) से पुनप्राप्ति डेटा पर आधारित है जो कि गैर ईडीडब्ल्यु/ मैनुअल बीई में नहीं लेते है। डीजीपीएम रिपोर्ट की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है और वे इकाईयों से रिपोर्ट प्राप्त कर संकलित करती है। डीजीपीएम और डीडीएम की रिपोर्ट में जो असमानता है वह परीक्षाधीन है।

(ii) सीबीईसी और कमिश्नरियों द्वारा कराया गया ठेका विवरण

सीबीईसी से प्राप्त सूचना को लेखापरीक्षा द्वारा 24 कमिश्नरियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से मिलाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीबीईसी और कमिश्नरियों के डाटा बेस की एकरूपता में कमी थी जैसा नीचे वर्णित हैः

तालिका सं. 14: ठेका विवरण

(सीआईएफ मूल्य ₹ करोड़ में)

स्त्रोत	1 अप्रैल 2011 के का आदि शेष		वि.व 12 से वि.व 16 के दौरान पंजीकृत ठेके		वि.व 12 से वि.व 16 के दौरान अन्तिम रूप दिए गए ठेके		31 मार्च 2016 को ठेकों का अंत शेष	
	सं.	सीआईएफ मूल्य	सं.	सीआईएफ मूल्य	सं.	सीआईएफ मूल्य	सं.	सीआईएफ मूल्य
सीबीईसी	1594	3,09,596	946	1,65,318	653	55,969	1929	4,16,658
कमिश्नरियां	1905	1,34,091	994	1,35,547	676	27,055	2223	2,60,176

राजस्व विभाग (दिसम्बर 2016) द्वारा प्रस्तुत आयुक्तालयवार तथ्यात्मक सूचना परीक्षाधीन है।

(iii) कमिश्नरी डाटाबेस में बेमेलताः कमिश्नरी स्तर पर अभिलेखों/ रिपोर्टों की लेखापरीक्षा संवीक्षा सूचना डाटा की बेमेलता के मामलों का विवरण आगे हैं:

तालिका सं. 15: कमिश्नरी स्तर डाटा में असंगति

कमिश्नरी	आंकडे			
	कमिश्नरी के अनुसार	तिमाही रिपोर्ट के अनुसार	अनुरक्षित ठेका रजिस्टर के अनुसार	सीबीईसी
कांडला	₹ 3,469.93 करोड़ मूल्य के 70 पंजीकृत ठेके	8 पंजीकृत ठेके	₹ 7,267.81 करोड़ के मूल्य के साथ 71 पंजीकृत ठेके	₹ 3,467.80 करोड़ के मूल्य के साथ 79 ठेके
	77 ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया	--	79 ठेके (लेखापरीक्षा के अनुसार)	45 ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया
	वि.व 16 को अन्त शेष के रूप में दर्शाए गए 89 ठेके (83 निजी+6 सरकारी/पीएसयू)	--	लेखापरीक्षा में पता लगे 89 ठेके (80 निजी +9 सरकारी पीएसयू)	वि.व 16 के अन्त शेष के रूप में दर्शाए गए 94 ठेके (87 निजी + 7 सरकारी/पीएसयू)
आईसीडी (शहर) बैंगलोर	वि.व 12 से वि.व 16 के दौरान अन्तिम रूप दिए गए 39 ठेके			वि व 12 से वि व 16 के दौरान शून्य ठेकों को अन्तिम रूप दिया गया

राजस्व विभाग ने अपने जवाब में (दिसम्बर 2016) में कहा है कि कांडला आयुक्तालय के आंकड़ों को सुधारा गया है और सही रिपोर्टिंग के लिए उचित कार्यवाही की गई।

असंगति के अन्य मामले थेः

- सीबीईसी द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, चेन्नई और कांडला कमिश्नरियों में ठेके पंजीकृत के रूप में दर्शाए गए थे किन्तु कमिश्नरी के रिकार्डों में कोई शुल्क संग्रहण और छोडा गया शुल्क नहीं दर्शाया गया था।
- सीबीईसी की सूचना में अहमदाबाद सीमाशुल्क और भुवनेश्वर कमिश्नरी ने कहा कि ईडीआई सिस्टम में दर्ज बीईज के लिए छोडे गए शुल्क की राशि का पता नहीं लगाया जा सका।
- इलाहाबाद कमिश्नरी ने 2012-13 के दौरान एक ठेके का आदि शेष और वि व 13 से वि व 16 के दौरान 'शून्य' जोड/मंजूरी दर्शायी थी तथापि, एक ठेके के अन्त शेष के बजाय उसने वि व

16 में 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया था जिसके मिलान की आवश्यकता है।

- अहमदाबाद सीमा शुल्क के संबंध में सीबीईसी डाटा वि व 12 के आदि शेष के रूप में छः ठेके दर्शाये थे और उसने सीमाशुल्क हाऊस के 28 ठेके बिना रिपोर्ट के छोड दिए थे।
- एयर कार्गो काम्पलेक्स, अहमदाबाद में पंजीकृत पांच परियोजना ठेकों को निजी क्षेत्र ठेकों के बजाय सरकारी/पीएसयू क्षेत्र ठेके के रूप में दर्शाया गया था।

इन मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2016) है।

(iv) परियोजना ठेको के विलम्ब की गलत रिपोर्टिंग

दिनांक 4 मई 2011 के परिपत्र द्वारा बोर्ड ने स्पष्ट किया कि संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त को परियोजना आयात मामलों के लम्बन को मानीटर और निर्धारित प्रपत्र में जोन के प्रभारी मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क लम्बन को मानीटर करेगा और निर्धारित प्रपत्र में महानिदेशक निरिक्षण (सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), नई दिल्ली को अगले माह की 15 तक जोन की एक तिमाही समेकित रिपोर्ट भेजेगा। डीजीआईसी एवं सीई बदले में केन्द्रीकृत तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर लम्बन को मानीटर करेगा और परियोजना आयात को अन्तिम रूप देने में की गई प्रगति, अनुपालन के प्रवृत्ति इत्यादि के बारे में तिमाही आधार पर बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो तो, का सुझाव देगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 कमिश्नरियों[57] में दिनांक 4 मई 2011 के परिपत्र में दिए गए निर्देशों को भावनात्मक रूप से लागू नहीं किया गया (जैसा परिशिष्ट 6 में वर्णित है) जिसके परिणामस्वरूप परियोजना आयात मामलों की गलत रिपोर्टिंग हुई।

[57] अहमदाबाद, कांडला, मुंद्रा, आईसीडी शहर, बैंगलोर और मैंगलौर, तूतीकोरीन, कानपुर, एसीसी नई दिल्ली, आईसीडी हैदराबाद नोएडा, एनसीएच और जे एनसीएच मुम्बई

बताए जाने पर (अप्रैल-जुलाई 2016) कांडला सीमाशुल्क कमिश्नरी ने कहा (अगस्त 2016) कि रिपोर्ट की तिमाही प्रस्तुति के लिए लेखापरीक्षा आपत्ति को नोट कर लिया गया और रिपोर्टों और रजिस्टरों को अद्यतित किया गया था।

सीबीईसी के विभिन्न रिकार्डों/क्षेत्रीय संरचनाओं में रखे असंगत सांख्यिकीय सूचना दर्शाती है कि परियोजना आयात मामलों को मानीटर करने के लिए डाटाबेस प्रबन्धन हेतु कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं है।

राजस्व विभाग ने अपने जवाब (दिसम्बर 2016) में लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार कर ली है और कहा है कि संबंधित आयुक्तालय ने सुधारात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है।

सिफारिशः लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि बोर्ड परियोजना आयात मामलों के लिये केन्द्रीकृत डाटा बनाने पर विचार कर सकता है ताकि विभिन्न संस्थाओं के बीच डाटा की अनियमितता से बचा जा सके।

बोर्ड ने एग्जिट बैठक के दौरान कहा (19 दिसम्बर 2016) की मंत्रालय पीआईआर की गहन समीक्षा के बाद आईसीईएस 1.5 में केन्द्रीकृत डाटाबेस के सृजन पर सिफारिश से सहमत है।

6.3 बैंक गारंटी (बीजी) और बांड की मानीटरिंग

आयातक को समय समय पर ठेके के पंजीकरण या निष्पादित बीजी/बांड की समाप्ति पर पुनः वैधीकरण के समय बैंक गारंटी (बीजी) बांड देना आवश्यक है जैसा नीचे दिया गया है।

तालिका सं. 16: बैंक गारंटी और बांड

अवधि	प्राप्त की जाने वाली बीजी की राशि	प्राधिकार
बैंक गारंटी		
28.02.2011 तक	प्राप्त की जाने वाली बीजी की राशि ठेके के सीआईएफ मूल्य का 2 प्रतिशत (₹ 50 लाख नकद प्रतिभूति और शेष बीजी के रूप में)	दिनांक 09.08.1995 का परिपत्र
01.03.2011 से	ठेके के सीआईएफ मूल्य के केवल 2 प्रतिशत की बीजी (अधिकतम ₹ 1 करोड़) रोकड प्रतिभूति की समाप्ति समय समय पर बीजी का नवीकरण	दिनांक 01.03.2011. का परिपत्र

सरकारी विभगों/पीएसयूज को छूट		दिनांक 24.03.1993 का परिपत्र
मेगा पावर की अनंतिम स्थिति वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए देय शुल्क के बराबर सावधि जमा प्राप्तियां (एफडीआर)बीजी किन्तु परियोजना आयात के अन्तर्गत छूट के लिए, देना आवश्यक है।		दिनांक 17.03.2012 की अधिसूचना के क्रम सं. 507 की शर्त सं. 93 के अनुसार
अवधि	प्राप्त की जाने वाली बीजी की राशि	
बांड		
सीबीईसी की सीमाशुल्क नियमपुस्तक 2014 के अध्याय 5 के पैरा 3.3 (V) की शर्तों में ठेके के सीआईएफ मूल्य के बराबर निरंतरता बांड को पंजीकृत करना भी आयातक द्वारा निष्पादित करना आवश्यक है।		

6.3.1 बीजी और बांड की प्रस्तुती

चार कमिश्नरियों[58] में मार्च 2009 और अप्रैल 2015 के बीच पंजीकृत सात ठेकों में लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल से जुलाई 2016) कि या तो आयातकों ने बीजी प्रस्तुत नहीं की या उसे कम राशि के लिए प्रस्तुत की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 32.67 करोड़ की बीजी की प्रस्तुती नहीं/कम हुई। एसीसी नई दिल्ली, कमीश्नरी में ₹ 9.10 लाख की बीजी की अत्यधिक प्रस्तुती के दो मामले भी पाए गए थे।

लेखापरीक्षा ने आगे चार कमिश्नरियों[59] के चार ठेकों में पाया कि आयातकों ने ₹232.21 करोड़ की कमी से बांड निष्पादित किए थे।

डीओआर ने आने उत्तर (दिसम्बर 2016) में एसीसी नई दिल्ली, कांडला, कोलकाता और एनसीएच मुम्बई आयुक्तालयों से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया। अहमदाबाद और चेन्नई आयुक्तालयों से उत्तर प्रतीक्षित है।

मंगलुरु आयुक्तालय के सम्बंध में डी ओ आर ने बताया कि आयातक ने चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, कोची आयुक्तालय के लिए आगे एक अतिरिक्त बांड पर अमल करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, डी ओ आर ने बताया कि बांड का मूल्य प्रासंगिक विनिमय दर पर आयातित किए जाने की संभावना माल के मूल्य पर आधारित है। अलग अलग समय पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के कारण आई एन आर का मूल्य अलग अलग होता है। अत: पजींकृत बाण्ड का मूल्य ₹1700 करोड़ केवल अनुमानित था।

[58]अहमदाबाद, एसीसी नइ दिल्ली, कांडला और मुम्बई (एनसीएच)

[59]मैंगलोर (एनसीएच) चेन्नई सी सीमाशुल्क, कोचीन और कोलकाता कमिश्नरी

डी ओ आर का जबाब स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि पीआईआर 1986 के तहत बैंक गारण्टी (बीजी) आयातित मूल्य के बराबर होना था।

6.3.2 बीजी और बांड का पुनर्वैधीकरण

लेखापरीक्षा ने पाया कि छः कमिश्नरियों[60], में परियोजना आयात के अन्तर्गत आयातकों द्वारा शुल्क रियायत के लाभ के प्रति निष्पादित ₹ 66.49 करोड़ की बीजी समाप्त हो गई थी, तथापि, उसके नवीकरण के लिए कमिश्नरियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन चालू परियोजना करारों में लगे राजस्व की सुरक्षा नहीं हो सकी।

इसके अलावा लेखापरीक्षा ने पाया कि दो मामले[61] जिनमें 2008-09 और 2011-12 के बीच ₹ 1341.53 करोड़ की राशि के बांड निष्पादित किए गए थे, 2009-10 और 2012-13 के बीच समाप्त हो गए थे। बांड की वैधता की समाप्ति पर, कमीश्नरी आयातकों द्वारा चूक होने के मामले में उसे लागू करने के लिए कार्रवाई नहीं कर सकी। इन बाडों के पुनर्वैधिकरण न किए जाने के कारण राजस्व असुरक्षित रहा।

डीओ आर के द्वारा दी गई कमिश्नरीयों की तथ्यात्मक जानकारी परीक्षाधीन है (दिसम्बर 2016)।

6.4 अभिलेखों की रखरखाव

मूल्यांकन नियमावली (खण्ड-1) में निहित प्रावधानो के साथ पठित पीआईआर 1986 के विनियम 4 और 5 में परियोजना आयात करार रजिस्टर का अनुरक्षण परिकल्पित है। प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक कमिश्नरी को निर्धारित प्रपत्र में परियोजना आयात रजिस्टर का अनुरक्षण करना होता है और पंजीकरण के समय नियत परियोजना संख्या/तिथि को दर्ज किया जाना चाहिए। इस रजिस्टर में ठेकों का विवरण, ठेका मूल्य और किए गए आयात (बीई सं./आरए सं.) भी दर्ज करना अपेक्षित है और ठेकों की प्रभावी मानीटरिंग के लिए उचित अधिकारी द्वारा महीने में एक बार पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

[60]अहमदाबाद, चेन्नई सी सीमाशुल्क, कांडला, कोलकाता लुधियाना, एनसीएच मुम्बई

[61]कांडला कमिश्नरी और मुम्बई (जेएनसीएच) कमीश्नरी में प्रत्येक मामला

6.4.1 लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 कमिश्नरियों[62], में परियोजना आयात मामलों से संबंधित रिकार्डों का अनुरक्षण उचित नहीं था। पाई गई कमिश्नरी वार कमियां तथा प्रबन्धन को रिपोर्टिंग में निरन्तरता पर इसके प्रभाव के ब्यौरे **परिशिष्ट *7*** में दिए गए हैं। अभिलेखों के अनुचित अनुरक्षण के सोदाहरण मामलों का विवरण नीचे दिया गया हैः

- आईसीडी खोडियार, एसीसी बैंगलोर, आईसीडी हैदराबाद, पारादीप सीमाशुल्क डिविजन और नोएडा सीमाशुल्क में ठेका रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

- 11 सीमा शुल्क पोर्टों[63] में ठेका रजिस्टरों का अनुरक्षण अनुचित रूप से किया गया था, जिसमें आयात विवरण, आयात का मूल्य, दत्त शुल्क, छोडा गया शुल्क इत्यादि, टीआरए आयातों के विवरण जैसे विवरणों की कमी थी। रजिस्टरों को अद्यतित करने के अभाव में लेखापरीक्षा को पंजीकृत ठेकों का मूल्य, अन्तिम रूप दिए गए ठेकों का विवरण, ठेकों के लम्बन इत्यादि संख्या के सटीक ब्यौरे का पता नहीं लग सका।

- मैंगलोर कमिश्नरी में फरवरी 2015 में पंजीकृत एक ठेके (ठेका सं. 1/2005) में, शुल्क का भुगतान फरवरी 2005 में किया गया था। ठेको को दिसम्बर 2006 में अन्तिम रूप दिया गया था और आयातक को नकद प्रतिभूति वापिस नहीं दी गई थी। तथापि, कमिश्नरी ने मार्च 2015 में अर्थात् नौ वर्ष बाद, आयातक को ठेके की स्थिति के बारे में पूछा अर्थात ठेको को अन्तिम रूप दिया गया या नहीं और ओआईओ की प्रति प्रस्तुत करें। अतः आयातक से नौ वर्ष से बाद अन्तिम आदेश की प्रति मांगने से परियोजना आयात मामलों की अनुचित मानीटरिंग का पता चलता है।

- एसीसी नई दिल्ली कमिश्नरी में दो ठेकों (मै. डीएमआरसी लि.) में परियोजना आयात के तहत आयातित माल के मूल्य को डेबिट करते समय सीमाशुल्क द्वारा मेरिट दर पर मंजूर किए गए माल का मूल्य भी बांड मूल्य से डेबिट किए गए जिसके परिणामस्वरूप ठेकों के पंजीकृत मूल्य से ₹ 3.70 करोड़ का अधिक डेबिट हुआ।

---

[62]आईसीडी खोडियार, अहमदाबाद, कांडला, मुंद्रा आईसीडी सिटी बैंगलोर और मैंगलोर, एसीसी, बैंगलोर, चैन्नई, सी कोचीन, एसीसी नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, एनसीएच, और जेएनसीएच, मुम्बई और तूतीकोरीन।

[63]कांडला मुन्द्रा, आईसीडी (शहर) बैंगलोर, मैंगलोर सीमाशुल्क, चेन्नई सी, तूतीकोरीन, कोचीन, एसीसी नई दिल्ली, कोलकाता, एनसीएच मुम्बई और जेएनसीएच, मुम्बई।

ठेका रजिस्टरों का अनुरक्षण न करने अनुचित अनुरक्षण के कारण उच्च अधिकारियों द्वारा घटिया आन्तरिक नियंत्रण प्रबन्धन हुआ।

डीओआर ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में बताया कि सभी कमिश्नरीयों ने लेखापरीक्षा अवलोकन को अनुपालन के लिए उल्लेख किया है।

6.4.2 मुम्बई कमिश्नरी, एनसीएच, कान्ट्रेक्ट सैल में 848 लम्बित/चालू ठेका फाइलें है जिनमें 31 मार्च 2016 तक ₹ 30,252.15 करोड़ का सीआईएफ मूल्य निहित था, जिसमें से वर्ष 1990 से 2010 से संबंधित 177 (21 प्रतिशत) फाइलें है जिनमें ₹ 3,031.03 करोड़ का सीआईएफ मूल्य निहित था और जिन्हें कान्ट्रेक्ट सैल में गायब/पता नहीं लग रहा बताया गया था जैसा परिशिष्ट 8 में ब्यौरा दिया गया है। इन कुछ गायब फाइलों में आयातित माल का मूल्य काफी अधिक था जिसमें काफी शुल्क रियायत शामिल थी। इन ठेका फाइलों की मानीटरिंग काफी प्रबलता से की जानी चाहिए थी और सभी दस्तावेजों की प्राप्ति और उनके संस्थापन और अन्तिम उपयोग के बारे में आश्वासन के बाद उन्हें अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए था। निम्नलिखित विवरण उन ठेका फाइलों की संख्या तथा लागत को दर्शाता है जो गायब थीः-

तालिका सं. 17: एनसीएच मुम्बई में गायब फाइलों का सार

गायब फाइलों का विवरण	आयात वाली फाइलें>₹ 100 करोड़	₹ 100 और 50 करोड़ के बीच आयात वाली फाइले	₹ 50 और 50 करोड़ के बीच आयात वाली फाइले	आयात वाली फाइले <₹ 10 करोड़
फाइलों की संख्या	7	6	17	147
कुल सीआईएफ मूल्य	2090.18	467.16	332.46	141.23
अवधि	1996 से 2008	2005 से 2008	1990 से 2009	1995 से 2007

एनसीएच मुम्बई कमिश्नरी/बोर्ड परियोजना आयात सैल से इतनी सारी फाइलों के गायब होने के कारण के बारे में पता कर सकती है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2016)

6.5 अंतर्विभागीय प्राधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव

कांडला कमिश्नरी में, लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल-जुलाई 2016) कि अन्तर्-विभागीय प्राधिकारियों के बीच उचित समन्वय की कमी थी, जैसा नीचे वर्णित है:-

6.5.1 एक आयातक[64] (पंजीकरण सं. 04/2006 दिनांक 15 जून 2006) का अन्तिम आयात 24 जनवरी 2007 को पूरा किया गया था और आयातक ने दिनांक 20 जून 2009 के पत्र द्वारा ठेके को अन्तिम रूप देने का निवेदन किया था जिसके बाद सीमा शुल्क, कांडला ने सीमाशुल्क नावा शेवा, मुम्बई को अन्तिम रूप दी गई बीईज प्रस्तुत करने का निवेदन किया था ताकि दिनांक 31 जुलाई 2009 के पत्र द्वारा परियोजना ठेके को अन्तिम रूप दिया जा सके। इस संबंध में, यद्यपि, सीमा शुल्क कांडला द्वारा चार अनुस्मारक जारी किए गए थे, छः वर्षो से अधिक बीत जाने के बाद भी सीमा शुल्क नावा शेवा, मुम्बई द्वारा अभी तक (जून 2016) कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

डीओआर ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में बताया कि कांडला कमिश्नरी ने मैसर्स आई डी एम सी लिमिटेड को एससीएन जारी किया है।

6.5.2 अन्य मामले में, एक आयातक[65] को इकाई के आरम्भिक समायोजन हेतु पंजीकरण संख्या 04/2008 दिनांक 9 सितम्बर 2008 द्वारा पंजीकृत किया गया (सितम्बर 2008)। इसी इकाई को पंजीकरण संख्या 06/2010 दिनांक 29 जून 2010 द्वारा आरम्भिक समायोजन (दूसरी बार) के लिए परियोजना आयात के अन्य पंजीकरण हेतु पुनः स्वीकृति दी गई भले ही इसे महत्वपूर्ण पंजीकरण के तहत पंजीकृत किया जाना था। न तो समर्थन प्राधिकरण न ही सीमा शुल्क प्राधिकरण/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो आयातक द्वारा की गई घोषणा पर पूर्ण रूप से निर्भर है, को यह जानकारी थी कि इकाई 'आरम्भिक समायोजन' अथवा 'महत्वपूर्ण विस्तार' की श्रेणी के अन्तर्गत आती है इसके परिणामस्वरूप सीई प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखा बहियों/तुलन पत्र आदि जैसे दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करके महत्वपूर्ण विस्तार के उनके दावों को सही साबित करने के लिए बोर्ड के निर्देशो का अनुपालन नहीं हुआ।

---

[64] मै. आईडीएमसी, आनंद

[65] मै. रामोजी ग्रेनाइट लि.

डीओआर ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में बताया कि दोनों परियोजनाओं के प्रायोजन प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर प्रारंभिक सेटिंग के रूप में दर्ज किए गए थे।

विभाग का उत्तर स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि मेसर्स रामोजी ग्रेनाइट लिमिटेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिवालय के औद्योगिक सहायता पावती दिनांक लाख वर्ग मीटर की मौजूदा 36 के अनुसार 2010/05/24 लाख वर्ग मीटर की अति 19 क्षमता वाली एक इकाई थी औररिक्त क्षमता प्रस्वावित थी और यह आयात परियोजना पंजीकरण सं 2010/6.दिनांक के पर्याप् 2010/06/29त विस्तार हेतु माल का आयात किया गया। यद्यपि, केवल स्वीकार करने और अधिकार प्रमाणपत्र के प्रायोजन पर परियोजना आधारित पंजीयन यह दर्शाता है कि विभागों के बीच में कोई उचित आंतरिक नियंत्रण नहीं है।

6.5.3 इसके अलावा, एक अन्य मामले में एक आयातक[66] को सीआईएफ ₹ 13.20 करोड़ मूल्य हेतु पंजीकरण संख्या 19/2008 के तहत पंजीकृत किया गया तथा लेखापरीक्षा के समय (मार्च 2016) विलम्ब को अंतिम रूप देने हेतु सूचित किया गया। इस ठेके के तहत किए गए निर्यात का विवरण सीमा शुल्क, कांडला के रिकार्ड में नहीं था।

हालांकि लेखापरीक्षा ने क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज, वांकानेर के साथ आयातक के विवरणो की दोहरी जांच की तथा यह पाया कि इकाई ने इसी ठेके के तहत चार बीईज के माध्यम से अक्तूबर तथा नवम्बर 2008 के बीच ₹ 2.99 करोड़ के पूंजीगत माल का आयात किया तथा ठेके को अंतिम रूप देने पर कांडला सीमा शुल्क ने ₹ 8.68 लाख की नकद प्रतिभूति जमा को वापिस किया।

यद्यपि डीओआर ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2016) कहा है कि परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है जबकि परियोजना को अंतिम रूप देने की तिथि उपलब्ध नहीं कराई।

[66] मै. वर्मारोग्रेनाइटो प्रा. लि., वांकानेर

ये मामले सीमा शुल्क तथा अन्य अन्तर विभागीय प्राधिकरणो के बीच समन्वय के अभाव को दर्शाते है जिसके परिणमास्वरूप अनावश्यक विलम्ब तथा प्रक्रियाओं का गैर अनुपालन हुआ।

डीओआर ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2016) में बताया कि परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया। परन्तु लेखापरीक्षा ने मार्च 2016 में पाया कि मामला आयात के विवरण के कारण लम्बित था।

6.6 अतिरिक्त ठेके नजरअंदाज करते हुये ठेके को अनुचित रूप से पूर्ण करना

कांडला आयुक्तालय में लेखापरीक्षा ने देखा कि आयातक[67] को आरम्भ में सीआईएफ मूल्य हेतु संख्या 18/2010 (सितम्बर 2010) द्वारा ₹ 12.05 करोड़ के सीआईएफ मूल्य हेतु पंजीकृत किया गया था तथा बाद में, ₹ 5.12 करोड़ सीआईएफ मूल्य के अतिरिक्त पंजीकरण को जोड़ा गया (फरवरी 2011)।

दिनांक 17 अक्तूबर 2011 के ओआईओ के सत्यापन के पश्चात, यह देखा गया कि ठेके को ₹ 12.05 करोड़ सीआईएफ मूल्य हेतु अंतिम रूप दिया गया था तथा आयातक को ₹ 24.15 लाख की नकद प्रतिभूति भी वापिस की गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि ओआईओ में ₹ 5.12 करोड़ की शेष राशि पर विचार नहीं किया गया तथा ₹ 5.12 करोड़ के अतिरिक्त ठेके को नजरअंदाज करते हुए ठेको को अंतिम रूप दिया गया तथा ठेके को अंतिम रूप दिए जाने के बावजूद भी आयातक को ₹ 10.24 लाख की नकद प्रतिभूति जारी नहीं की गई ।

डी ओ आर ने अपने उत्तर (2016 रदिसम्ब)में बताया कि को 2011/02/01 ₹ 5.12 करोड़ की सी आई एफ मूल्य की अतिरिक्त परियोजना जोड़ दी गई। इस मामले में परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए शेष राशि को एस सी एन ने जारी किया।

6.7 निष्कर्ष

सीमाशुल्क विभाग ने ईडीआई सिस्टम के माध्यम से अपने परिचालनो को कम्प्यूटरीकृत किया है, निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला है कि ईडीआई

[67] मै. दोनाटो वर्टीफाइड प्रा. लि.

सिस्टम के अन्दर परियोजना आयात योजना को संघटित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। फलतः योजना की मैन्युअल हस्तक्षेपो की जटिल तथा निर्भर मॉनीटरिंग करने के अलावा योजना के तहत पंजीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी आयातो की सम्पूर्ण स्थिति का पता लगाना लगभग असम्भव है। मंत्रालय को परियोजना आयात ठेको की बेहतर रिपोर्टिंग तथा उन्हें समय पर अंतिम रूप देने के लिए डाटा बेस प्रबंधन को मजबूत करने तथा आन्तरिक नियंत्रणों को कठोर करने हेतु योजना कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग तथा नियंत्रण की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

जेएनसीएच आयुक्तालय, मुम्बई में आयुक्तालयों द्वारा अभिलेखो के खराब अनुरक्षण तथा चालू परियोजनाओं की काफी अधिक गायब परियोजना आयात फाइलो के मामलो से आयुक्तालयों में अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण तंत्र का पता चलता है।